



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009 Sevottam Compliant

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468 Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र संख्या CIRCULAR.No.01/2019

विषय : स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 18.12.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में। Sub:Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 18.12.2018 Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक सेवाशुल्क गृंह, कोचीन के सभागार में 18.12.2018 को पूर्वाहन 10.00 बजे आयोजित की गई। आयुक्त महोदय श्री सुमित कुमार, आई आर एस, ने बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 10.00 am on 18.12.2018 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, IRS, Commissioner chaired the meeting.

सीमा शुल्क के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:- सुश्री/श्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

- 1. बी जी कृष्णन, आई आर एस, संयुक्त आयुक्त B G Krishnan, IRS, Joint Commissioner
- 2. महेंद्र वर्मा आर ए, आई आर एस, उप आयुक्त Mahendiravarmaa R A, IRS, Deputy Commissioner
- 3. डॉ. राजी एन एस, आई आर एस, उप आयुक्त Dr.Raji N S, IRS, Deputy Commissioner
- 4. वी ए मोइदीन नैना, आई आर एस, सहायक आयुक्त V A Moideen Naina, IRS, Assistant Commissioner
- 5. साबू सेबेस्टैन, आईआरएस, सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
- 6. फिलिप सेबेस्टैन, आईआरएस, सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
- 7. जोसेफ सेबेस्टैन, आईआरएस, सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
- 8. भ्वनचंद्रन पी, वैज्ञानिक ई ', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
- 9. बैजू डैनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
- 10. वी उषा, सीमा शुल्क अधीक्षक V Usha, Superintendent of Customs
- 11. ए एन जोजो, सीमा शुल्क अधीक्षक A N Jojo, Superintendent of Customs

व्यापार तथा व्यापार से संबंधित अन्य सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया गया ; सुश्री/श्री

- 1. The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:
- 2. राज विनोद, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट Raj Vinod, Cochin Port Trust
- 3. अब्राहम फिलिप, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Abraham Phillip, Indian Chamber of Commerce & Industry
- 4. डॉ. जेस्टो जॉर्ज, एफ एस एस ए आई Dr. Jesto George, FSSAI
- 5. कुरुविला आई जी टी पी एल Kuruvilla, IGTPL
- 6. ए के विजयकुमार, एफ आई ई ओ A K Vijayakumar, FIEO
- 7. टी के बीजू, सीएफएस, सी पी टी T K Biju, CFS, CPT
- 8. बीजू आर, सीएफएस, पेट्टा Biju R, CFS, Pettah
- 9. हरि वी एस, सी एफ एस, कॉनकोर Hari V S, CFS, Concor
- 10. वी वीराराघव, सीएफएस, जी डी के एल V Veeraraghav, CFS, GDKL
- 11. जोसमैन एम जे, सी एफ एस, के एस आई ई Josemon M J, CFS, KSIE
- 12. एस विनोद इमैनुअल, सी एफ एस, एम आई वी S Vinodh Immanuel, CFS, MIV
- 13. पॉल अब्राहो, सी सी एच ए ए Paul Abrao, CCHAA

Page 1 of 5

- 14. एम.बी.नंदकुमार, सी सी एच ए V. M.B.Nandakumar, CCHAA
- 15. धन्या, कोचीन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन Dhanya, Cochin Steamer Agents Association
- 16. एलेक्स के निनन, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया Alex K Ninan, Sea Food Exporters Association of India
- 17. फ्रांस सी मुंडदन, केरल राज्य लघु उद्योग संघ France C Mundadan, The Kerala State Small Industries Association
- 18. राजीव एम सी, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन Rajeev M C, Federation of India Export Organization
- 19. पी विनोद कुमार, आर बी आई P Vinod Kumar, RBI

सभापति ने बैठक के सदस्यों का स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं के संबंध में कार्रवाई पर विचार किया गया, उसके पश्चात नए सिरे से मुद्दे उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

चर्चा के लिए नए बिन्दु FRESH POINTS FOR DISCUSSION

बिन्दु संख्या Point No. 1 आर एम एस बिल स्कैनिंग के लिए चुने गए RMS Bills picked for scanning

सी सी बी ए ने अनुरोध किया कि जब आर एम एस बिल स्कैनिंग के लिए चुने जाते हैं और यदि कुछ संदिग्ध वस्तुएं पाई जाती हैं, तो प्रवेश के बिल को सी एफ एस में होने वाली परीक्षा के लिए वापस लाया जाना चाहिए। सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रवेश के बिल को वापस लेने और परीक्षा आदेश जारी करने में 2-3 दिन लगते हैं। सीमा शुल्क ब्रोकर बिल के प्रवेश को वापस लेने के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बने हैं, यद्यपि सीमा शुल्क ब्रोकर को प्रवेश के बिल को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है तथापि यह स्कैनिंग के दौरान कुछ संदिग्ध पाए जाने पर सीमाशुल्क के लिए आवश्यक है। अगर सहायक आयुक्त (डॉक्स) के पास बिल की प्रविष्टि को वापस लिए बिना स्कैनर रिपोर्ट के आधार पर कटेनर की जांच के लिए एक परीक्षा आदेश जारी करने का प्राधिकार हैं, तब इस देरी से बचा जा सकता है। स्कैनिंग के दौरान यदि कुछ संदिग्ध पाया गया और उसके संदर्भ में माल उतारने और कार्गो की जांच करने हेतु कंटेनरों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

CCBA requested that when RMS bills are picked for scanning and if some suspicious objects are found, the bill of entry has to be recalled for examination to be done at the CFS. It takes 2-3 days for the Customs officials to recall the Bill of Entry and issue the examination order. Customs Brokers are made to submit request letters to recall the Bill of Entry even though the recalling of the Bill of Entry is not the requirement of the Customs Broker but a requirement of the Customs if something suspicious is found during the scanning. If the Asst. Commissioner (Docks) is having the authority to issue an examination order for the examination of the container based on the scanner report without recalling the Bill of Entry, this delay can be avoided. There is no procedure laid out for containers where something suspicious has been found during scanning vis a vis extent of destuffing and examination of cargo.

सहायक आयुक्त (सी एस डी) ने कहा कि विभाग ने 26.11.2018 को एक सार्वजनिक **सूचना संख्या 39/2018** जारी किया है, जिसमें कंटेनरों की स्कैनिंग और उसके बाद की प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

The Assistant Commissioner (CSD) stated that department has issued a Public **Notice No.39/2018 dated 26.11.2018** which has spelt out elaborate procedure in respect of scanning of the containers and the procedures thereon.

सहायक आयुक्त के इस कथन के बाद, श्री नंदकुमार ने ब्रोकर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि विभाग स्कैनिंग अधिकारियों द्वारा चिह्नित क्षेत्र में कंटेनर के अंदर परीक्षा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है।

After this statement by the Assistant Commissioner, Shri. Nandakumar representing the Brokers association submitted that the department may issue instructions to officers to carry out examination inside the container itself in the marked area by the scanning officers.

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि इस तरह का निर्देश कानूनी रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह सक्षम अधिकारी की शक्तियों पर हस्तक्षेप की भाति होगा। हालांकि, अधिकारियों को सलाह दी जाएगी कि वे व्यापार में कम से कम अस्विधा के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करें। The Chair informed the member that such an instruction is not legally feasible as it would amount to intrusion to the powers of the proper officer. However, it would be advised to the officers to conduct the examination in a fair and just manner with the least inconvenience to the trade as possible.

> (कार्रवाई के लिए: बिन्दु निरस्त किया गया For Action: Point Dropped)

बिन्दु संख्या Point No. 2 सी एफ एस में अधिकारियों की इयूटी में परिवर्तन Duty change of officials at CFS

सी सी बी ए ने बताया कि सी एफ एस में प्रतिनियुक्त किए गए सीमा शुल्क अधिकारी साप्ताहिक रूप से बदलते रहते हैं। जब भी इयूटी में बदलाव होता है, अधिकारियों को समय पर सिस्टम में लॉगिन करने की अनुमति नहीं मिलती है और इसके कारण दस्तावेजों के निपटान में देरी होती है।

CCBA state that the Customs officials deputed to the CFSs change weekly. Whenever there is duty change, the officials are not getting the permission to login to the system in time and this causes delay in clearing the documents.

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि लंबी अवधि तक के लिए अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया विचाराधीन है और शीघ्र ही लागू की जाएगी। संयुक्त आयुक्त श्री बी जी कृष्णन और उप आयुक्त डॉ. राजी एन एस को इस मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया।

The Chair informed the members that the process of posting of officers for a longer period is under consideration and shall be implemented shortly. The Joint Commissioner Shri. B G Krishnan and Deputy Commissioner Dr.Raji N S were directed to look into the matter.

(कार्रवाई के लिए: संयुक्त आयुक्त / उप आयुक्त For Action: Joint Commissioner /Deputy Commissioner)

बिन्दु संख्या Point No.3 सीमाशुल्क वेबसाइट में सीमाशुल्क ब्रोकरों के विवरण का अद्यतनीकरण Updation of Customs Broker's details in Customs website

सी सी बी ए ने अनुरोध किया कि सीमा शुल्क वेबसाइट पर सीमा शुल्क ब्रोकरों के विवरण का अद्यतनीकरण नहीं हुआ है और यह निर्यातकों / आयातकों के लिए निर्देश है।

CCBA requested that the details of Customs Brokers at the Customs website is not updated. Since it is reference for exporters / importers.

अध्यक्ष ने एसोसिएशन को सीमाशुल्क वेबसाइट में अपलोड करने के लिए एसोसिएशन के सभी सदस्यों की एक अदयतन सूची देने हेत् सूचित किया।

The Chair informed the association to give an updated list of all the members of the association in order to upload the same in the Customs website.

(कार्रवाई के लिए: सीमाशुल्क के अधीक्षक, ई डी आई For Action: Superintendent of Customs EDI)

बिन्दु संख्या Point No.4 कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के ओ एफ एस वेयरहाउस में कार्गो Cargo in OFS Warehouse of Cochin Port Trust

श्री राज विनोद, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने कहा कि हाल ही के विकास में मट्टनचेरी घाट(वार्फ) में कोचीन बंदरगाह के ओ एफ एस गोदाम में शराब की बोतलें संग्रहित की गईं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मट्टनचेरी घाट में बंदरगाह द्वारा कोई भी गतिविधि नहीं है और इसलिए बंदरगाह के गोदाम से माल को शीघ्र हटाने का अनुरोध किया गया है।

Shri Raj Vinod, Cochin Port Trust submitted that in a recent development Liquor Bottles were stored in the OFS warehouse of the Cochin Port in Mattancherry Wharf. He submitted that there are no activity by the port in the Mattancherry Wharf presently and therefore requested for speedy removal of goods from the port warehouse.

अध्यक्ष ने बताया कि ये जब्त किए गए कार्गो है जिनको नष्ट किया जाना लंबित हैं। माल को जल्द से जल्द हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

The Chair informed that these are confiscated cargo pending for destruction. Action has been initiated to dispose of the goods at the earliest.

(कार्रवाई के लिए: सहायक आयुक्त निपटान For Action: Asst.Commissioner Disposal)

बिन्दु संख्या Point No.5 टाइम रिलीज़ स्टडी (टी आर एस) का प्रकाशन Publishing of Time Release Study (TRS) Page 3 of 5 भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री अब्राहम फिलिप ने सेवाशुल्क गृह , कोचीन द्वारा टाइम रिलीज़ स्टडी के प्रकाशन का उल्लेख किया और इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करने का अनुरोध किया।

Shri. Abraham Phillip, representing the Indian Chamber of Commerce & Industry referred to the Time Release Study published by the Custom House, Cochin and requested to publish in public domain.

अध्यक्ष ने बताया कि टाइम रिलीज़ स्टडी रिपोर्ट को तय समय में सीमा शुल्क वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। The chair informed that the Time Release Study report would be uploaded in the Customs website in due course.

(For Action: Superintendent of Customs EDI)

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि टाइम रिलीज स्टडी भविष्य में अन्य हितधारकों के पास जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रीतियों के साथ तालमेल रखने के लिए यह अनुरोध किया गया था कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ खुद को संरेखित रखे ताकि भारत सरकार द्वारा "व्यापार करने में आसानी" के अनुपालन में, सभी हितधारकों द्वारा लिए गए समय को कम किया जा सकें।

The Chair informed the members that the Time Release Study would move to other stake holders in future. In order to keep pace with the International Trading practices it was requested to align themselves with international standards so as to reduce the time taken by each of the stake holders, in compliance of "Ease of doing business" by the Government of India.

अध्यक्ष ने इस क्षेत्र में हितधारकों से क्षेत्रीय मानदंड स्थापित करने का अनुरोध किया। The Chair requested the stake holders to setup regional benchmarks in this area.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की तिथि सेवाशुल्क की वेबसाइट www.cochincustomer.nic.in के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए मुद्दा , यदि कोई हो, तो उसे भेजा जा सकता है। यदि कोई मुद्दा हो तो उसे टेलीफोन नंबर 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent.Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at **ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com**.

हस्ता Sd/-(सुमित कुमार, आई आर एस Sumit Kumar, IRS) आयुक्त Commissioner

F.No. S.65/17/2018-CCU-CUS दिनांक Dated: 15.01.2019

//सत्यापित Attested//

(बैजू डैनियल, Baiju Damel) (र्ग) कर्ण

मूल्यनिरूपक अधिकारी Appraising Officer (सी सी यू CCU)

को प्रस्तुत Submitted to:

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुवनन्तपुरम ज़ोन,कोचीन The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi.
- अपर महानिदेशक, करदाता सेवा निदेशालय, बेंगलुरु ज़ोनल यूनिट, 4th फ्लोर टी टी एम सी बिल्डिंग, बी एम टी सी बस स्टैंड के ऊपर, दोम्मलूरु, बेंगलुरु-560071 The Additional

Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि Copy to:

संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner सभी आयुक्त तथा सहायक आयुक्त All D.Cs & A.Cs सभी सदस्य All members